बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 5716190 / पटना, दिनांक :- 05/06/26
ग्रा0वि0-R-504/94/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-340966)

श्री किशोर कुणाल, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-158376), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां सदर (पूर्णियां) के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग के जांच दल द्वारा दिनांक-19.04.2023 को इनके नियंत्रणाधीन कुल-05 आंगनबाड़ी केन्द्रों का जांच/निरक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों की संख्या से काफी कम बच्चे (3,9,11,12 एवं 22) उपस्थित पाये जाने, उपस्थित बच्चे पोषाक में नहीं रहने, शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं रहने आदि अनियमितता पाये जाने तथा उक्त में श्री कुणाल के स्तर पर पर्यवेक्षण का घोर आभाव होने संबंधी आरोपों पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6321 दिनांक-18.12.2023 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री कुणाल से विभागीय पत्रांक-102231/2024 दिनांक-05.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) के पत्रांक-117 दिनांक-10.02.2024 के माध्यम से श्री किशोर कुणाल द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-1146 दिनांक-10.09.2025 द्वारा श्री कुणाल के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिनमें प्रतिवेदित किया गया है कि अनुपस्थित बच्चों के पोषाहार की राशि की वसूली किया जाना था । श्री कुणाल द्वारा सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है। केन्द्रों को पोषाक की राशि ससमय नहीं दिया गया है, जिससे इनकी कार्य की असक्षमता एवं सरकारी कार्य में असफलता दर्शाता है। इनके द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में घोर अभाव प्रतिवेदित किया गया है।

श्री किशोर कुणाल के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप, श्री कुणाल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुणाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री किशोर कुणाल, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-158376), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां सदर (पूर्णियां) के विरूद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने" का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री किशोर कुणाल के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\अधिसूचना\किशोर कुणाल.doc

Gopal

ज्ञापांक:- 5716190 / पटना, दिनांक :- 05/06/26

ग्रा0वि0- R-504/94/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-340966)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/26

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 5716190 / पटना, दिनांक :- 05/06/26

ग्रा0वि0- R-504/94/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-340966)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियां/उप विकास आयुक्त, किशनगंज एवं पूर्णियां /कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज एवं पूर्णियां/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री किशोर कुणाल, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक- 158376), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियां सदर (पूर्णियां)/आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

5/6/26

ज्ञापांक:- 5716190 / पटना, दिनांक :- 05/06/26

ग्रा0वि0- R-504/94/2023-SECTION 14-RDD-RDD (COM NO-340966)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

5/6/26